

**डिक्री बमूकदमें इब्तादाई**

( आदेश 21 नियम 6,7 जाक्ता दीवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर  
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 05/2024

वादी

1. भंवराराम पुत्र निम्बाराम
2. सुखाराम पुत्र निम्बाराम
3. नैनाराम निम्बाराम जातियान मेघवाल निवासीगण दोतीणा तहसील जायल, जिला नागौर,  
बनाम

प्रतिवादीगण

1. पेमादेवी पत्नि निम्बाराम
2. केसर पुत्री निम्बाराम जातियान मेघवाल निवासीगण दोतीणा तहसील जायल जिला नागौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 1- वादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासारा, एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री मुन्नीराम मालोदिया एडवोकेट

:: : डिक्री आदेश :: :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई. रुबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासारा व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री मुन्नीराम मालोदिया एडवोकेट की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 भंवराराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा दोतीणा में खेत खसरा नम्बर 89/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से रकबा 1.1331 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।  
वादी संख्या 2 सुखाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा दोतीणा में खेत खसरा नम्बर 89/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से रकबा 1.1817 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।  
वादी संख्या 3 नैनाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा दोतीणा में खेत खसरा नम्बर 137 रकबा 1.0198 हैक्टेयर पूरा तथा खसरा नम्बर 89/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से उत्तरी पूर्वी कोने पर रकबा 0.1133 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः पेमा देवी व केसर के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प. ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
5. उक्त खसरा नम्बर में से बैंक के रहन खसरा नम्बर का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
6. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।



सहायक कलक्टर  
(एड.डी.ओ.) जायल